

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामप्रकाश पुत्र बुद्धिराम नि० ग्राम भरहापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-353/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. तुलाराम पुत्र सूर्यलाल नि० बेलवा बाजार थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-206/21, 02. तुलसीराम पुत्र जयप्रकाश तिवारी नि० ग्राम बनगाई थाना कौड़िया जनपद गोण्डा व धनीराम वर्मा पुत्र कृष्ण कुमार वर्मा नि० बनगाई थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 12 केन किंग फिसर बियर, 35 शीशी बिग शॉट देशी शराब बरामद कर मु०अ०सं०-207/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नितेश कुमार सिंह पुत्र स्व० नागेश्वर सिंह नि० फत्तेहपुर थाना राधवपुर जनपद वैशाली बिहार हाल पता मनकापुर आयल कम्पनी थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-311/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

